

①

नदी व तिराता पल्लम था

(1)
 जिला हुक्म महका खास कोरा हुसबिले २५ दिवस
 कितना पलायन २६ $\frac{3}{4}$ दरबार चाहते नह अमीन
 ओ उमेद भवन की दोनो काल के बीच में
 पुलिस की चौकी के बीच गल खाल से
 चिपी हुई हैं - कय खाल के - नह अमीन १६६५२
 हुब्बा गज अमीन ऊपर ०.१० बाकी २५८६०
 हुब्बा गज बराब क खाल गल में जाती
 है - कुल जबा नकशे के माफिक ८६२५२ हुब्बा
 गज होता है - ०.१० पुलिस की चौकी की
 ०.१० गली दीवार के बराब बल्लो ओर तो
 ६९२ हुब्बा गज इसमें ०.१० शामिल होगा -
 इस हिस्से में पानी की लेल ०.१० गल
 लेगे हुए हैं - इनको ०.१० मन्दा रुद्ध हलके की
 जरूरत ०.१० होगी - जो ०.१० २१ $\frac{3}{4}$ के इस
 अमीन के हिस्से ओर में रोड वर्ज नहीं है
 अन्तिम इमारत बन ओर १८ गज की लम्बाई
 होगी -



१६. पलायन
 Ram Gopal Sharma
 Judicial Secretary
 MAHAKMA KHAS, KOTAH

२२३४
 महका खास
 २-५-३६
 २५ दिवस कितना पलायन रिपोर्ट मुनिसिपल
 बोर्ड के साथ उपस्थित हुई - हुब्बा कितना
 पलायन की १६६५२ हुब्बा गज अमीन
 ७ की हुब्बा गज के निर्ज से ०.१०

25/12/2010
 ਦੁਬਕਾ ਗਲ ਬਹਾਨ ਨ ਚਲਾ ਗਲ ਦੀ
 ਅਸੀਨ ਜਾ ਕੀ ਦੁਬਕਾ ਗਲ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੇ
 ਰਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੈਲਾਦ ਕੀ ਦੁਬਕਾ ਅਗਲ ਪਾ ਰਿਸ਼ਾ
 ਜਾਨਾ ਕੇਸਰ ਫਰਮਾਨੇ ਹੈ - 6692 ਦੁਬਕਾ
 ਗਲ ਅਸੀਨ ਜਾ ਅਸੀਨ ਪੁਲਿਸ-ਕੋਈ ਕੀ
 ਅਗਲੀ ਦੀਵਾ ਕੇ ਕਰਾਨਾ ਰਹ ਜਾਸੀ ਹੈ -
 ਅਗਲ ਰਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਲੇਨਾ-ਕੀਏ ਲੇ
 ਕਰ ਕੀ 5 ਕੀ ਦੁਬਕਾ ਗਲ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੇ
 ਦੇਵੀ ਜਾਨੇ - ਅਸਲ ਕੇਸਰੀ ਕੇ ਜਾਨੇ - ਰਿਸ਼ਾਨੇ
 ਕੀ ਇਤਲਾ ਦੀ ਜਾਨੇ - ਅਗਲ ਰਿਸ਼ਾਨਾ 6692
 ਦੁਬਕਾ ਗਲ ਅਸੀਨ ਕੀ ਲੇਵੇ ਲੇ ਕਲ ਅਸੀਨ
 ਕੇਲੇ ਉਸ ਅਗਲ ਲੇ ਕਲ ਰਿਸ਼ਾਨੇ ਜਾਨੇ - ਇਜ਼ਾਨੇਕੀ
 ਕੀ ਇਤਲਾ ਦੀ ਜਾਨੇ - Nandhu

कैलियत नृ बोर्ड बोरा न विद्वान नवीन
महर्षि पद्मावता

मार्ग १३३

१३५२

नवत एषीरत जमीन गिरी पवन
वीरोना आरु के नीन में सुखित वी
जोरी दे मोरि जो नव नव ते मिली
उर ई-

मिथि लहर में अरि दात वि बदायता-नारिणी
महम्म आरिमा खास से सादिर नरुन
राज होने पर जो राज लक्ष्मी दी जाती
है कि न रुक रुक आरिमा खास १६६२ मुहम्म
गज जनान ३ वी मुहम्म गज सी दर से भी
२७८६० मुहम्म गज बहाव न खास नार सी जमीन
११ वी मुहम्म गज के हिस्से से दि. की पंसद
भी उर जात पर दिमा जाना मंतर हो उर
जिस वी नवीन जमीन १६६२ मुहम्म गज सी १३ से
२१९९॥ भी २७८६० मुहम्म गज सी १३ से
१३३३ जिसके कुं २१५४॥ ३ रमाता दिमा
मुहम्म बहाव ६१२ मुहम्म गज जमीन भी

प्रविष्ट नौरी श्री अगरी दीवार के बगल
 रह जानी है- अगल विमान उमरी भी देना
 नही तो नही उषी गुरुवा गग दे
 हिमन से दिख जाना करे हा नुमा है।
 समिथ अगल रह गयीन श्री ६६१२
 विमाने के काम में आवे तो गुरुगे
 जेस है अवाक २३५ द ओ रकार
 प्रमाणे

SECRETARY.
 Municipal Board Kotah.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार
प्रस्तुत किया गया है।

सत्य प्रतीति

निष्पत्ति

किसी भी प्रकार के दबाव या बाधना के बिना स्वतंत्रतापूर्वक
आवेदन

आवेदन सं. २६

हस्तगत दिनांक २६/०५/२०१८

आवेदनकर्ता के द्वारा दायर की गई है।

आवेदनकर्ता के द्वारा दायर की गई है।

दिनांक २६/०५/२०१८

आवेदनकर्ता के द्वारा दायर की गई है।

आवेदनकर्ता के द्वारा दायर की गई है।

आवेदन सं. २६

आवेदनकर्ता के द्वारा दायर की गई है।

आवेदनकर्ता के द्वारा दायर की गई है।

नक़द सूचना के अधिकार के
तहत जारी की गई।

साथ प्रतिलिपि

गुप्तता २०१७

जो रकम विदेशों से आई है वह हमारे
जमा से निकले - भौत वह गानिया ^{आयुष्य}
है P.D.

75017 अर्थ व्यवस्थापक कार्यालय की अतिरिक्त
की 33/10-30 36 निम्नलिखित

हमारे सामने है P.D.
20-17

से. प्र. बो. १९७६

जिज्ञासा पचापचा से १५०॥७ अ. ३५००॥

पचापचा से ३५०॥७ अ. ३५००॥

जमाला से ३५०॥७ अ. ३५००॥

शमीनान तो दिकाने से कराही लिया गया है - मुलबत

करा शमील करा लिया जाना मुनासिब होगा P.D.

14/12/41

सर्वप्रथम के विचार के
सुख की ही थी।
एक प्रतीति

5

समाधि स्थल पर
समाधि स्थल पर

समाधि स्थल पर

एक १६ के समाधि स्थल पर १६/१२/४१
१६ मिमी की गहराई पर १६/१२/४१
आवृत्ति समाधि पर १६/१२/४१

सु. मोड़
३.१.४१
समाधि स्थल पर ३.१.४१

३.१.४१

समाधि स्थल पर

समाधि स्थल पर ३.१.४१
समाधि स्थल पर ३.१.४१
समाधि स्थल पर ३.१.४१

समाधि स्थल पर

३.१.४१

समाधि स्थल पर ३.१.४१

समाधि स्थल पर ३.१.४१
समाधि स्थल पर ३.१.४१
समाधि स्थल पर ३.१.४१

३.१.४१

सु. मोड़ ३.१.४१

समाधि स्थल पर ३.१.४१
समाधि स्थल पर ३.१.४१

Figure 1

1A-C-12

रसोद शुक्र जमा. ग्यानिमिपैल बोर्ड सहर कोटा

नाम आसापी

बाबत असे नमूद आहे की या मालाचा आयात कर दर १०% व निर्यात कर दर ५% आहे.

[illegible]

धर्मके रूपया लक्ष्मणप्रसादसो रोकई पाना



3400

J. Kanwar Lal

द० फोतेदार

द० सचिवरी

7

साक्ष्य प्रतिस्तिथि

[Handwritten signature]
[Redacted]
[Redacted]

किंविद्यते क्लीन टिकाना पर्याइया अविद्यते अथ विन साह्य विवृणक्ति
विद्विषा

माध. २८ $\frac{1}{15}$

हस्त अर्ध दाम दिव्याना द्वावी खीद नंजमीन सिद्धोदी

उमेश भवन के दोनो फाटो के बीचों बीच में मिली हुई है

अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त है। ३. अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त है।

दिनांक 23/03/2024 तहसीला विद्युतगर्भ कि जाटी की जमीन की आय विवरण

કરારિગઈતી રાવોહસ્યજેલઆયા -

साफ जमीन नशेब और दही हुई जमीन

२५५६, गज ३४६०२, गज

इसकी कुल कीमत 386011 होती है इसमें से 34000 रुपये को 2 1/2 दिने

[illegible]

सकल सुचना के अधिकार को
सहस्र जारी की गई है।

प्राप्त प्रतिनिधि

(मुद्रांक ३०/३६)

जो रुकने के लिए आया है वह रुकने के लिए
जमा की गयी है - और वह गारंटी है कि वह रुकने के लिए

है U.M.

१९०१/३६ के अन्तर्गत रुकने के लिए आया

है ३३६६-३० ३६ रुकने के लिए

रुकने के लिए रुकने के लिए रुकने के लिए
रुकने के लिए रुकने के लिए रुकने के लिए

से मुद्रांक १९०१/३६

विज्ञापन के लिए १६६॥१ प्र. ३५००)

१६६ के लिए ३६६॥१ प्र. ३५००) प्र. ३५००)

जहाँ रुकने के लिए ३६६॥१ प्र. ३५००)

३६६ के लिए ३६६॥१ प्र. ३५००)

रुकने के लिए ३६६॥१ प्र. ३५००)
रुकने के लिए ३६६॥१ प्र. ३५००)
रुकने के लिए ३६६॥१ प्र. ३५००)
रुकने के लिए ३६६॥१ प्र. ३५००)

2

गणित के अतिरिक्त

$$\begin{aligned}
 (1) & \quad 3000000 = 3000000 \\
 (2) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (3) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (4) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (5) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (6) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (7) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (8) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (9) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (10) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (11) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (12) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (13) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (14) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (15) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (16) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (17) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (18) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (19) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000 \\
 (20) & \quad 3000000 + 3000000 = 6000000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (1) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (2) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (3) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (4) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (5) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (6) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (7) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (8) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (9) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (10) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (11) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (12) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (13) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (14) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (15) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (16) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (17) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (18) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (19) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000 \\
 (20) & \quad 1000000 + 1000000 = 2000000
 \end{aligned}$$

$$499750 = \frac{1}{2}$$

गणित के अतिरिक्त 499750 गणित के अतिरिक्त

$$\begin{aligned}
 & \text{गणित के अतिरिक्त} \quad 499750 = 55528 \text{ गणित के अतिरिक्त} \\
 & \text{गणित के अतिरिक्त} \quad 499750 = 55528 \text{ गणित के अतिरिक्त} \\
 & \text{गणित के अतिरिक्त} \quad 499750 = 55528 \text{ गणित के अतिरिक्त}
 \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{aligned} & \text{गणित के अतिरिक्त} \quad 2 \text{ के अतिरिक्त} \quad 55528 = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\}$$

गणित के अतिरिक्त 20559 + 34902 = 55461 गणित के अतिरिक्त
गणित के अतिरिक्त 20559 + 34902 = 55461 गणित के अतिरिक्त

(9)

रसीद बुक जमा म्यूनिसिपैल बोर्ड शहर कोटा

नम्बर 1074 तारीख 30-12 सन् 1936

नाम थासामी विद्यानाथ कलामाहा मिरासिदार बरमलसिंह

बाबत कमल मयारी डोरी डिग्री 1/2 मल दे देगो 10/12/36

जिन्दा बलि माली 1/2 डिग्री 1/2 मल दे देगो 10/12/36

अंके रुपया 50 ले ले गये अति रोकड़ पाना 33



950117
[Signature]

द० फोतेदार [Signature] द० सेक्रेटरी

31/12/37

ANEXURE - 6

(11)

CORRESPONDENCE

To, The Commissioner,
Kotah

From, The Tahsil
Tahsildar, Palsana

Jan 9664

From Kotah the 11th July 1963

Government sanction to the suggestion of Ap Ajit Singhji over Tahsana Palsana has been received and the Collector Kotah is being asked to take necessary steps with regard to the mutation of names in favour of the Apji Bahib's brothers over much land in village Barmali.

[Signature]
Commissioner,

HLK.
9.7.63.

621

Copy of letter No. P.4(642)Rev.1/62 dated Jalpur
the 13th June, 1953 from the Revenue Secretary to the
Government of Rajasthan to the Commissioner, Kotah,

Subject: Succession to a Mutation or Jagir
Palaittha held by Major General as
Sir Onkar Singhji of Thikana in
favor of his eldest son Shri Ajit
Singhji.

Ref:- Your memo No. 2171 dated 30.4.53.

I am directed to convey sanction of H.H. the
Rajprabhu to the succession of Shri Ajit Singh to
the Jagir of Palaittha comprised of the marginally
mentioned villages held by his late father Major

S.No.	Name of village	Category or maufi	Area Big. Bis.	Income	General ad sir Onkar Singhji of Palaittha and their mutation in the name of the
1.	Palaittha	Arnta whole village of Jagir	13869-3	Rs 10000/8/-	
2.	Mirzapur	"	5458-3	Rs 6800/10/-	
3.	Bamulla	"	5349-19	Rs 7850/8/-	
4.	Matali	"	1177-6	Rs 1167/-	
5.	Amra	"	217-1	Rs 977/1/-	
6.	Vinod Khari Gangod	"	2242-18	Rs 2270/14/-	
7.	Hajoori	Older Maufi	567-3	Rs 1054/13/-	
8.	Kalithan	Leisure	212-18	Rs 142/15/2	

former subject to the payment of usual succession fees
leviable according to rules or past practice on such
occasions and to his agreeing to the original
conditions on which the above Jagir or Maufi villages
were granted.

Your office file No. 53 of 1951 received with
your memo referred to above is returned herewith.

By order

SA/-

for Revenue Secretary.

Copy forwarded to Shri Ajit Singhji for infor-
mation and necessary action with reference to his
letter dated the 6th February, 1953.

SA/- Vidya Sagar

12.6.53

for Revenue Secretary.

गणपति को 96652 दुर्द्धा गज जमीन
7 की

13

पञ्चमिह ग्राह्यै विद. ब्रह्माद आसीददात् अथ डिक्तावा पञ्चम्या
अथ पञ्चम्या :

१० मकान :- १ मन्दिर, २ चौकी, ३ मालीखाना, ४ चौकी, ५ और ५ मीलखाना
जिनमें जगदीश बम्बरी हो रही है तीसरा पक्की है । ६ व ७ बाग
के पास दो शिवजी बम्बरी बम्बरी हो रही है । ८, ९ व १० दुकानें
तीन बाग के पास के पास पक्की, ११ चौकरी चौकी का पक्का,
१२ मकान पेंडली की कुली के सामने का पक्का व १३ पास वाला
कच्चा मकान, १४ बैठक कच्ची, १५/१६ बैठक के पास की दुकानें
दो पक्की, १७, १८, १९ दुकानें तीन बाजार की पक्की एक दुकान
सत्यनारायण के मन्दिर के पास व दो दुकानें खेती के नीचे
(बाजार में), २० जगह एक कच्ची कैलाश जी के मन्दिर के पास
२१ मकान पैस पर जिसमें एक शिवजी व तीन मंदार पक्की ।

२- बाग :- १ बाग जिसमें अन्दर कुवा व क्षेत्रों की गलत तिमाही व मंडार बना हुआ है जो पक्के हैं और मोड़ घर जिसकी बफाते बंदी हो रही है। २ बाग जिसमें कौड़ी बनी हुई है व बाहर कुवा व नौहरा बना हुआ है जो पक्के हैं।

४- बाकियों का बाग जितने काम व सन्दन के पैठ हैं।

१- कृष्ण व पैदा १- मोती कुवा तथा पैदा नीम, जाम, जातन

२- डहरी बगर सागर तालाब के नीचे तथा पैह बन्दन

3- महारा की माता रुखा, 4- महारा की आत्मा रुखा
5- मास की बावडी, 6- जेतवाल की धामा रुखा

५- बाराजी हुद काश्त:- एकत २ पर पास ३ काश व पदा
५०९१११ (१०५)

मोपा बाबा :

१- १ फक्त, १७०१) २- ५२ पास ५३४१२

गणमका २ ना १६६२ ३२ ५००
= A ३२ ५०० गज जमीन

मौवा अनुसूचा भाग 1 की

1. नामान :- 1. खैली जिसकी बगला बन्दी हो रही है जो पछली है ।
2. बगला का बाड़ा जो जिसकी बगला बन्दी हो रही है ।

2. लुई व पैड़ :- (1) खैली के पास का कुआ लुआ, पैड़ खैली का रज
(2) मगा कुआ (3) बन्दा वाला कुआ, तथा पैड़ बीम, बीर नीपू
(4) बीमराय का कुआ तथा बामुन का पैड़ (5) तथा कुआ व पैड़
बीम बीर केवड़ा (6) नई बाली कुआ तथा पैड़ बाम
(7) बाम वाला कुआ तथा पैड़ बाम (8) माछुवा कुआ
(9) बगला की का कुआ तथा पैड़ रण खैली बाम पैड़
(10) बगला कुआ का कुआ तथा पैड़ बगार (11) बाम वाला कुआ
तथा पैड़ बाम (12) बूत वाला कुआ तथा पैड़ बाम
(13) पैनी रण वाला कुआ (14) बीमराय वाला कुआ
(15) बाहु बी की बापड़ी तथा पैड़ रण बाम केवड़ा पीपली खैली
(16) पलाय का पैड़ रास्ते पर बापड़ी तथा पैड़ बाम नकुवा
(17) शला वाला कुआ (18) पीपली वाला कुआ

3. बगला की कुत्तारत :- 1. कुत्त 2. पैरपास 3. बन्दा राय सागर 4. नीवर नकुव 5. बीपा 120) 1. 142) 12

मौवा निवापुर

1. नामान :- 1. खैली व नोहरा पैली का पक्का व बाड़ा जिसमें मल्ले का हाव
टोन पैड़ व खैली का पैड़ ।
2. हुकान एक पक्की बाजार में
3. ज्याग एक खैली छटीक पैनी के पास दरंगा के रस्ते के बास्ते
जिसमें पर व खाने का चौक
4. रावता के पास में लावपा व पास में चौक
5. बागर का बाड़ा बहाता लिवा हवा ।

बगीची :- बगीची एक खुवत छेदा व बगनी के रास्ते पर 21) बीपा जिसमें
पैड़ बामुन, बावला महुवा बीछड़ा बीर खूरा होटी

- कुआ व पैड़ (1) कुआ मोनपा के पास वाला तथा पैड़ बाम बामुन
(2) कुआ बीत्पा दख्खाला (3) कुआ मनरीया वाला
(4) कुआ बनरीया वाला तथा पैड़ बाम बामुन
(5) कुआ माकया वाला (6) कुआ पीपली वाला बगनी के
रास्ते पर (7) कुआ एक बीवरी वाला तथा पैड़ खूर खैली
केवड़ा (8) रण वाला कुआ तथा पैड़ रण खूर केवड़ा खैली

कोटा :-

मकान :- १. खैली मोला पाड़ा बौर्द : पूर्व पुराना तोपखाना
पच्छिम सड़क बारगीर तबैला दक्षिण में गाड़ी खाना उतर में
पूरजपोल से कैथुनी पोल

२ मकान नया पुराना :- पूर्व पड़क कोटा जंक्शन से कोटा शहर

दक्षिण :- दुकानात सेठ कैसरी सिंह साहब मकान सेठ राम
नारायण दलाल मकान श्री ग्यारसी लाल माली ।

उत्तर :- दुकानात श्री मदार बली साहब

पच्छिम :- सड़क पुरानी काशन हाउस से बकिथा मुसलमान

३- कोठी मोहन निवास जिसकी बहाते बंदी हो रही है ।

४- बाँकार विलास भीमगंज मंडी वार्ड में जिसके सामने दुकानात तथा पीछे
बहाता है । पूर्व मकान तथा बहाता श्री मैमी चन्द बंसाडया

पश्चिम व उत्तर :- सड़क जंक्शन से कोटा शहर

दक्षिण :- सड़क जी मन रोड (जंक्शन से कोटा शहर) से घर्मशाला गुना
वालों के सामने होती हुई बंगला तक जाती है ।

गंगा कैथुन :-

१- बारगीर दुकानात :- १. सड़क २- मर पास कुवा

१५०)बीघा १४६॥३ २

जागीरदार पलायका

दिनांक : २०-८-५४

हस्ता०

स्टी० जागीर कमिशनर

राजस्थान जगपुर

४३१७

दिनांक १८-३-५७

नोट :- दरखास्त पेश होने पर जागीर कमिशनर का बलिथ सेक्शन ए.मिसेल नं०

से बाव चरपा कराया जाने टिकट १) यह प्रति हस्ते श्री गोपाल दास जी
के दी गई ।

शासन सचिवालय परिसर, जयपुर
राजस्थान सरकार
कार्यालय जमीन कमिश्नर
जयपुर

(17)

क्रमांक 19465 राई।सी।५६.

दिनांक 27/11- १९५६.

श्री जमीन एदार ठिकाना पत्तण्चा मन्त्रीसहित
भा.क.स. फलिकर साहब, जयपुर रोड

विषय:- निजी सम्पत्ति की सूचना

जमीन जमीन का पुनर्गठन हो जाने से राजस्थान भूमि सुधार एवं जमीन पुनर्गठन एक्ट की धारा २३ के अनुसार आपकी जमीन नं० — दिनांक २०.८.५६ के द्वारा साबित जयपुर रोड निजी सम्पत्ति की सूची में है। यह सब निजी सम्पत्ति की गणना में आती है। कम: हमें एक्ट की धारा २३ के अनुसार आपकी निजी सम्पत्ति की सूची में दर्ज कर लिया गया है तथा आपको सूचित किया जाता है कि अगर नकल लेना चाहें तो परस्वास्त कर फीस देना पड़ेगा।

जमीन कमिश्नर,
राजस्थान, जयपुर।

19466

प्रतिलिपि जलिकर साहब, जयपुर रोड से प्रेषित है

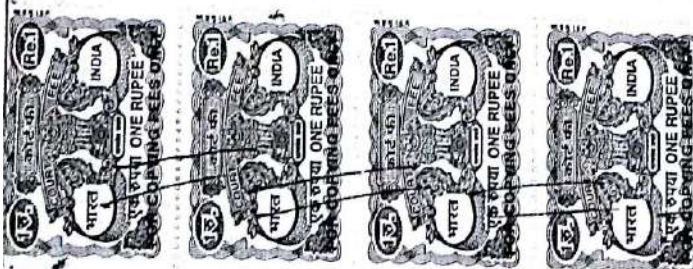
जमीन कमिश्नर,
राजस्थान, जयपुर।

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित

(सी. एस. शेखावत)

सहायक निदेशक
राजस्थान राज्य अभिलेखागार
सचिवालय परिसर, जयपुर

श्री राम मर्मा
२४-११-५६.





THEY ARE THE ONLY PEOPLE WHOSE INTERESTS ARE NOT

1921. 11. 15

१ प्रकाश - १ मास २ दुर्गा ३ गङ्गा काशी ४ मोरारजी

[illegible]

२. जो ५ लाख के भी तो जितनी बातें हैं, वे भी तो नहीं हैं।

११. भारत के राजनीतिक विकास के लिए राजनीति में क्या योगदान है?

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20240

10. 11. 1954

प्राप्त [redacted] के अतिरिक्त यह पात्र [redacted] के [redacted]

२०. जलपान एवं कचरा

[illegible]

२३. राजा विजय की पत्नी अम्बिका देवी का नाम है

२. जाति :- १. जाति जिसे मुख्य रूप से वनों की झाड़ियों में पाया जाता है।

वसुधा है जो पानी है और पौधे वा

2. बाग जिसमें कोई भी सुई है वह बाग है

उभा है जो पत्थर है -
३. साया जिसे दंतियों व गुरुओं ने दुष्ट माना है

४. ओमोइका का अंग जिम्मेदार न माना है।

५. नादः देहीचे प्रतीक नसत नासत व नादही नासत नासत

काठो स्टेट प्रति प्रमाणित
३३

३ कुवेवपेड :- १. सोम दुवा तथा सोम दुवा जयपुर

2. ¹जहाँ और लाल साख के नीचे जहाँ के यहाँ

४. माता श्री शारदा ६ बालकाल में बसंत दुर्गा

१. १००० २. १००० ३. १००० ४. १००० ५. १००० ६. १००० ७. १००० ८. १००० ९. १००० १०. १००० ११. १००० १२. १००० १३. १००० १४. १००० १५. १००० १६. १००० १७. १००० १८. १००० १९. १००० २०. १००० २१. १००० २२. १००० २३. १००० २४. १००० २५. १००० २६. १००० २७. १००० २८. १००० २९. १००० ३०. १००० ३१. १००० ३२. १००० ३३. १००० ३४. १००० ३५. १००० ३६. १००० ३७. १००० ३८. १००० ३९. १००० ४०. १००० ४१. १००० ४२. १००० ४३. १००० ४४. १००० ४५. १००० ४६. १००० ४७. १००० ४८. १००० ४९. १००० ५०. १००० ५१. १००० ५२. १००० ५३. १००० ५४. १००० ५५. १००० ५६. १००० ५७. १००० ५८. १००० ५९. १००० ६०. १००० ६१. १००० ६२. १००० ६३. १००० ६४. १००० ६५. १००० ६६. १००० ६७. १००० ६८. १००० ६९. १००० ७०. १००० ७१. १००० ७२. १००० ७३. १००० ७४. १००० ७५. १००० ७६. १००० ७७. १००० ७८. १००० ७९. १००० ८०. १००० ८१. १००० ८२. १००० ८३. १००० ८४. १००० ८५. १००० ८६. १००० ८७. १००० ८८. १००० ८९. १००० ९०. १००० ९१. १००० ९२. १००० ९३. १००० ९४. १००० ९५. १००० ९६. १००० ९७. १००० ९८. १००० ९९. १००० १००. १०००

1001-1002



मान :- १. हवेली जगकी इहाला बन्दो हो रही है जो पक्का है।
२. बाग का बाड़ा दो जिनकी इहाला बन्दो हो रही है।

२ कुते व पेड़ :- (१) हवेली के पास का कुता तथा पेड़ इमली का
(२) नया कुता (३) जन्दा वाला कुता तथा पेड़ नीम और नीम
(४) होडरों का कुता तथा जामुन का पेड़ (५) नया कुता व पेड़
नीम और खैर (६) दाईं वाला कुता तथा पेड़ आम
(७) आगे वाला कुता तथा पेड़ आम (८) मरहम का कुता
(९) आकातो का कुता तथा पेड़ आम इलाही आम के पेड़
(१०) जरबोडा का कुता तथा पेड़ आम (११) आम का कुता तथा
पेड़ आम (१२) दूध वाला कुता तथा पेड़ आम
(१३) बेनी शंकर वाला कुता (१४) खोखरा वाला कुता
(१५) लू जी की बावड़ी तथा पेड़ आम वमूल बेनी पीपल इमली
(१६) पल्लाग भा के रास्ते पर बावड़ी तथा पेड़ वमूल मरुआ
(१७) दाता वाला कुता (१८) पीपली वाला कुता

आरजी २५ :- १. रकत और घास ३. बन्दा राज सागर के नीचे पड़त ४० बीघ
१२०१ ११२१३

ताजा मिरजापुर

मकान :- १. हवेली व नोहरा बेलों का पक्का व बाड़ा जिसमें मकान
का खान दोन शेंड व हवेली का पेड़

२. इमान एक पक्की बाजार में

३. जग एक लच्छी हवेली के पास वरोग के
रस्ते व जग जिनमें घर व सागने का पेड़ व

४. रावला के आड़ में खोखरा व पास में पेड़ व

५. बाग का बाड़ा इहाला बन्दो हो रहा

जोचो :- बगानी एक लघु वन खेड़ा व बगानी के रास्ते पर बावड़ी
जिसमें पेड़ जामुन खीबला मरुआ कोहरा और खैर होते

व पेड़ :- (१) कुता मोहन के पास जोका तथा पेड़ आम वमूल

(२) कुता केला दहड़ वाला (३) कुता मजरा का काका

४. जो बनी बगानी वमूल व पेड़ आम जामुन

फोटो स्टेट प्रति प्रमाणित

(२) एस. शेखावत)
सहायक निदेशक
राजस्थान राज्य अभिलेखागार
सांस्कृतिक परिसर, जयपुर

(४) बुढ़ा आजावा वाला (५) बुढ़ा पीपली वाला (६) बुढ़ा रोस्ते पर (७) बुढ़ा एक पीपली वाला तथा पेड़ खजूर खेजड़ा (८) रोस्ते वाला बुढ़ा तथा पेड़ रोस्ते खजूर खेजड़ा (९) सोमरी वाला बुढ़ा (१०) बागड़े वाला बुढ़ा तथा पेड़ नीम खेजड़ा (११) आजावा बुढ़ा (१२) कारखाने जी वाला बुढ़ा तथा पेड़ आम (१३) रोस्ते वाला बुढ़ा तथा पेड़ खजूर (१४) बागड़े जी का बुढ़ा (१५) बड़ वाला बुढ़ा डाबरी के रोस्ते पर तथा पेड़ बुढ़ा (१६) डोली का बुढ़ा (१७) आजावा वाला बुढ़ा तथा पेड़ (१८) बुढ़ा रोस्ते पर लीमला खेजड़ा (१९) डाबरी के रोस्ते पर आजावा वाला बुढ़ा तथा पेड़ आम खजूर (२०) सोमरी वाला बुढ़ा तथा पेड़ नीम (२१) लहसुन खेजड़ा के रोस्ते पर बुढ़ा तथा पेड़ आम आम खजूर पेड़ (२२) नन्दा बान वाला डाबरी के रोस्ते पर उकर भी तरफ बुढ़ा तथा पेड़ आम खजूर दोती (२३) राम चन्दर तेली वाला बुढ़ा (२४) तेली का बुढ़ा (२५) खेजड़ा का बुढ़ा तथा पेड़ नीम (२६) खजूर वाला बुढ़ा तथा पेड़ आम आम खेजड़ा (२७) बुढ़ा पेड़ महुआ खेजड़ा (२८) सुनारों वाला बुढ़ा तथा पेड़ आम आम

४. आराजी खुद :- १. हकत २. मेर घास ३. बन्दा दलेल सागर की फसत
का ३२ ६३॥११ १२६॥११ आराजी २० बीघा

मौजा जीकेड़ी

१. कुरु व पेड़ :- (१) बुढ़ा राज (२) देवजी वाला बुढ़ा (३) नया बुढ़ा तथा पेड़ आम आम (४) दूध वाला बुढ़ा तथा पेड़ इमली आम (५) नीम जी वाला बुढ़ा तथा पेड़ नीम बमूल

२. आराजी :- मेर घास २२ बीघा

मौजा बमोरी

१. महुआ नोटस तेली १६६॥११ १६६॥११ राजस्थान राज्य अभिलेखागार

(सी. एस. शेखावत)

सहायक निदेशक

राजस्थान राज्य अभिलेखागार

गोशाले :- 1 हवेली कच्चा एक

2. बाड़ा जिसकी आंखों बंदी हो रही है

3. भस्मी रा कच्चा एक

आराजी कुतु :- 1 हकत 2. मेर दात
मकान 221119 25) बीदा

3. कुतु व पेड़ :- (1) मेरमा कुतु तथा पेड़ तीस दंड वमृत

(2) दूँक का कुतु तथा पेड़ आम

(3) चापरा कुतु तथा सांगर का पेड़

(4) खलक का कुतु तथा मि

(5) डरुमी (6) पारी का कुतु पेड़ कोटडा

(7) खोडमा का कुतु तथा पेड़ दूँक खेजडा

(8) मशूरमा कुतु (9) कांभडा का कुतु एक तथा पेड़ आम

(10) बजराभा का कुतु तथा पेड़ मशूर

(11) हवेली के नीचे पश्चिम में कोट के पास पेड़ दूँक
तीस हीमोटका गोशाले

गोशाले

मकान :- 1. हवेली मोरना पाड़ा ताई :- पूर्व - पुराना तोषेसका

पश्चिम - सड़क बाहर की तरफ

दोऊन - गाड़ी खाना

उत्तर - सड़क सुरत पोले में के पूर्वी ओर

2. मकान गला पुराका :- पूर्व - सड़क कोट जंक्शन से कोट पाड़ा

दोऊन - दूकाना में से के सीरी सिंह गल

मकान से सड़क माराया पलाय

मकान को जल लाया पलाय माली

उत्तर - दूकाना में की मकान जल लाया

पश्चिम - सड़क पुराका काटने पर मकान से पलाय
मुसलमान

3. कोही मोरन निवास जिसकी आंखों बंदी हो रही है

4. अंकार निवास जो मंगल मंदिर ताई में जिसमें सभाघर

मकान तथा पेड़ आंखों बंदी है।

फॉर स्टेट प्रति प्रमाणित

(सी. एस. शेखावत)

सहायक निदेशक
राजस्थान राज्य अभिलेखागार
सचिवालय परिसर, जयपुर

(22)

मौजा के पुराने

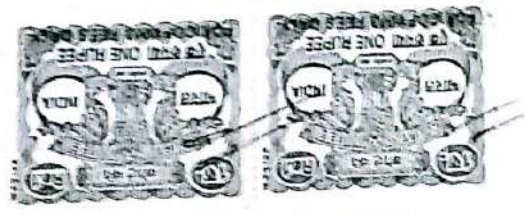
१. आराजी खुर्द :- १. हकत २. मेर बास, कुमा
१४० बीघा १४६ बीघा २

—x—

Signature

कोटो स्टेट प्रति प्रमाणित २०-८-२४

(सी. एस. शेखावत)
सहायक निदेशक
राजस्थान राज्य अभिलेखागार
सचिवालय परिसर, जयपुर



- 44
14
1. प्रति प्रतिष्ठा काल
 2. आवेदन का नाम Dr. Arun Kumar
 3. आवेदन एवं प्रस्तुत करने की तिथि 29.5.17
 4. प्रस्ताव वापसी की तिथि 6
 5. प्रतिनिधि पत्र की तिथि 3.11.17
 6. प्रतिनिधि पत्र होने की तिथि 4.11.17
 7. प्रतिनिधि पत्र प्रस्तुत करने की तिथि ...
 8. प्रतिनिधि पत्र करने की तिथि 11.11.17
 9. प्रतिनिधि पत्र का नाम ...



D/H
Age

8.2.70
60 yrs.

(23)
In lieu of JAFM 101
Part I Death Certificate)

PART I

DEATH CERTIFICATE

ARMY HOSPITAL DELHI CANTT. 10

(For JCOs, ORs, Non-Combatants and Departmental Employees)

Certified that Number IC - 1 Rank Maj Gen.

Name Ajit Singh Brotherhood Corps or Dept A.H.Q.

died last of May Gen
was killed in action Bhagwati Singh
on the 8.2.70 at 1910 hrs or

Chronic Renal Failure

Station : Delhi Cantt.

Date : 8.2.70

N. V. Sharma
For Comd: Army Hospital, Delhi Cantt.
Signature of Medical Officer
CNN. SHARMA

* Here enter specific disease or injury which was the cause of death.
Note:- See Regulations for the Medical Services of the Army in India
1937, Paragraph 126.

1. संस्कृत - 100 अंकांचे परीक्षा
 2. मराठी - 100 अंकांचे परीक्षा
 3. इंग्रजी - 100 अंकांचे परीक्षा
 4. गणित - 100 अंकांचे परीक्षा
 5. विज्ञान - 100 अंकांचे परीक्षा
 6. इतिहास - 100 अंकांचे परीक्षा
 7. सामाजिक विज्ञान - 100 अंकांचे परीक्षा
 8. कला - 100 अंकांचे परीक्षा
 9. वैयक्तिक गुण - 100 अंकांचे परीक्षा
 10. संगणक विज्ञान - 100 अंकांचे परीक्षा

18. 2002年12月31日

[Faint handwritten notes, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Handwritten signature: *W. J. ...*

22

[illegible][illegible]

समाचार समाचार :-
समाचार समाचार :-

Lauterbach

21/11/2019
21/11/2019

7 :- 21/11/2019

8 :- 21/11/2019

पञ्जाब प्रिन्टिंग प्रेस :-
1 R.
7/9/41/62.

• 2004 •

— 412 —

उत्तर - १२६ फुट दक्षिण १५१ ३/४ फुट.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 अथ श्रीसुत उवाच ॥
 भवति हि तस्मात्पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां
 पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां
 पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां
 पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां
 पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां
 पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां पुत्रो ज्ञातृणां

[illegible]

सिवांग चव्वाद श्री किनागोहेनी आम्हाची अन्विष्टा जीनेभी
परिवारा पर कोठे तामस स्वीकार किया धंदः प्रत्यक्षाया २७-५
नका जसेल्ल्या अन्ना दानपनिधि तुमारी भुखरीक कुमारी नीलाश
कोटिः आर्यचवत्ताकर धंदः किनागोहे ।

[illegible]

SECRET 100-447000-1

१९६९ को फुलक मा ५ फुलक ३५५ मा पजीम

विषय सूची / सदी. पुस्तकालय. श्री S.R.

॥ नमो ॥

Scanned by CamScanner

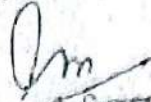
32

INDIAN NON RESIDENT

RAJASTHAN

06AA 289958

परिष्कार पत्र की डोलेबरी के साथ संलग्न है।


उप प्रिजिचक
गन्ना जिला-पारो (राज.)

क्रमांक ६६... दि. १२.०७.१९८८
नाम निरंजित सिंह
पिता का नाम बलदेव सिंह राय
पति पराशर
माता मूल नदी

सुपरी (१९८८/१९८९)
दिल्ली, दि. २०/०७



1100
 558
 Two
 1100
 प्रमाणित
 दिनांक
 किस्म नुसार
 उन्वयान मुक्त
 दिनांक

प्रति हुस्तावर
 7/2/20
 नवारी नविकारी
 नविकारी विभाग
 दिवा एन वीरव नविकारी, को
 9 FEB 2010

प्रमाणित दिनांक 1 नविकारी को नविकारी
 2- नविकारी दिनांक 1
 3- नविकारी नविकारी को नविकारी दिनांक 1
 4- नविकारी नविकारी को नविकारी दिनांक 1
 5- नविकारी नविकारी को नविकारी दिनांक 1
 नविकारी नविकारी को नविकारी दिनांक 1
 नविकारी नविकारी को नविकारी दिनांक 1

सत्य प्रतिलिपि
 नविकारी नविकारी को नविकारी दिनांक 1
 नविकारी नविकारी को नविकारी दिनांक 1
 9 FEB 2010



1. *...*
 2. *...*
 3. *...*
 4. *...*
 5. *...*
 6. *...*
 7. *...*
 8. *...*
 9. *...*
 10. *...*



1. $\frac{1}{2}$ of the work is done by A and B together.
2. $\frac{1}{3}$ of the work is done by B and C together.
3. $\frac{1}{4}$ of the work is done by C and A together.
4. $\frac{1}{5}$ of the work is done by A, B and C together.
5. $\frac{1}{6}$ of the work is done by A, B and C together.

100

1994

RECEIVED

Handwritten text, possibly a signature or date.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.



35

1- ...
 2- ...
 3- ...
 4- ...
 5- ...
 6- ...



7- ...
 8- ...
 9- ...
 10- ...
 11- ...
 12- ...

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिनिधिकार
 जला एवं संचयन विभाग
 9 FEB 2010

13- ...
 14- ...
 15- ...
 16- ...
 17- ...
 18- ...

श्री - श्री - श्री -

उत्तर - उत्तर - उत्तर -

कर्मचारी (20000) रुपये

६- यह कि उपरोक्त परिवार की सम्पत्ति है

१०- यह कि १३-६-६५ की भूमि

१९- यह कि यहाँ मध्य प्रस्तुत किया जा रहा है।



२२- यह कि २०२०००) रुपये २००) रुपये के

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि

9 FEB 2010

... ..

यु.सी.एस. कुमार

...

...



1. प्रारंभिक पत्र का क्रमांक पत्र 2543
2. प्रारंभिक पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 22-10
3. पृष्ठों की संख्या 60
4. प्रतिलिपि की संख्या 3 II
- एक नकल प्र...
5. कोडो स्टैम्प प्रतिलिपि...
6. प्रतिलिपि दो पी. टी. 3-2-10
7. प्रतिलिपि तैयार की 19-2-10
8. नोटिस जारी करने...
- (यदि जारी किया)
9. प्रतिलिपि जारी करने की दिनांक 17-4-10
10. प्रतिलिपि दाख प्रस्तुत करने की दिनांक

प्रति हुस्तावद

37

महाराष्ट्र न्यायालय
मुंबई न्यायालय
न्यायालय मुंबई न्यायालय

न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट

9 FEB 2010

प्रमाणित

दिनांक

किस्म

उनवान मुकदमा

विवाद निर्णय/पेजी

मुक.नं.

बनास

12-172

- (१) प्रताप सिंह I बात्मज श्री बाप विजय सिंह जी
 (२) संजय सिंह I मोहन निवास, कोटा
 (३) स्मृति कुमारी I
 (४) सुशीला कुमारी धर्मपत्नी बात्मज बाप श्री विजय सिंह
 राजपूत निवासी मोहन निवास सिविल लाइन्स कोटा

--- वादीगण

बनास

बाप विजय सिंह बात्मज बाप श्री कजीत सिंह की राजपूत
निवासी मोहन निवास सिविल लाइन्स कोटा

--- प्रतिवादी

वाद सम्पत्ति के विभाजन हेतु

राजी नामा

मान्यवर,

सादर निवेदन है कि वाद गस्त सम्पत्ति के संबंध में हम
वादी गण एवं प्रतिवादी के मध्य बापसी राजी नामा नियमानुसार
हो गया है। यह राजी नामा हम फांकारों के परिवार की
शान्ति को ध्यान में रखकर आपसी राजमंदी से मोक्ष से,
बिना प्रभाव व दबाव के चित्त को पूर्ण स्वस्थ बनाया में किया
है।

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय

संयत न्यायालय, कोटा

9 FEB 2010

बापसी राजी नामे के अनुसार वाद गस्त सम्पत्ति का विम
विभाजन इस प्रकार किया है इस विभाजन से हम मान्द हैं तथा
हमें स्वीकार है वाद के कारण प्रमाण ७ में उल्लिखित सम्पत्ति का
विभाजन इस प्रकार हुआ है :-

डि. जज कोत

१४-१-६२

प्रेमचन्द को निजम सिंह
निजम सिंह को प्रताप प्रजापति को रमाश्व
निजम सिंह को प्रताप प्रजापति को रमाश्व

१४-१-६२

अभिषेक प्रजापति को
रमाश्व

डि. जज कोत

१६-१-६२

प्रताप प्रजापति को निजम सिंह को रमाश्व
निजम सिंह को प्रताप प्रजापति को रमाश्व
निजम सिंह को प्रताप प्रजापति को रमाश्व
निजम सिंह को प्रताप प्रजापति को रमाश्व
निजम सिंह को प्रताप प्रजापति को रमाश्व
निजम सिंह को प्रताप प्रजापति को रमाश्व

१४-१-६२

१४-१-६२

१४-१-६२



38

0122
2

(२)

(१) मोहन विवास
सिविल लाइन्स कोटा

(ब) मदन श्रीमति सुशीला कुमारी को
वादिनी कुमारी को रहेगा ।

(ब) पड़त भूमि उधर दिशा को कुं० प्रताप-
सिंह वादी क्रमांक १ को रहेगी
दोत्रफल -- १६३-१-१३४ कोटा

(६) पड़त भूमि दक्षिण दिशा को -
कुं० संजय सिंह वादी क्रमांक २
के नाम रहेगी दोत्रफल --
२५५ - १ १३३ वादी कोटा

(२) हवेली नयापुरा कोटा - वादी कुं० प्रताप सिंह के रहेगी
वादी क्रमांक १

(३) अश्विनी विलास
मोमजिमंडी कोटा - वादी कुं० प्रतापसिंह के रहेगा
वादी क्रमांक १ -

(४) पलायका हवेली - (अ) मदन मात्र कुं० संजय सिंह के रहेगी
वादी क्रमांक २

(ब) पड़त भूमि पीछे की जिसकी पक्की
बाहता बन्दी हो रही है ।
स्मृति कुमारी वादिनी क्रमांक ३
के रहेगी ।



सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकाय
जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटा

9 FEB 2010 कोटा

दि० १४-१-७२

उपरोक्त विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी ने मिलकर
स्वेच्छा से किया है जो सभी पक्षा को स्वीकार है इसी प्रकार हकी
प्रमाण करने की कृपा करें ।

प्राधीगण ,

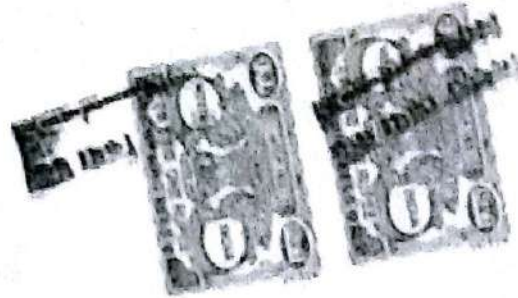
वादीगण -

- (१) प्रतापसिंह
- (२) संजय सिंह
- (३) स्मृति कुमारी
- (४) सुशीला कुमारी

प्रतिवादी -

जाम विजय सिंह जी ---

[Handwritten signature]



1. प्रार्थना पत्र का क्रमांकन वर्ष 2543
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 2-2-10
3. पृष्ठों की संख्या 3 P
4. प्रतिलिपि जीत को पत्राचार स्थान 1-50 II
5. एच नंबर सुनाने की कीमत 100
6. प्रतिलिपि देने की कीमत 3-2-10
7. प्रतिलिपि देने की कीमत 9-2-10
8. नोटिफिकेशन की कीमत (बिना फीस के)
9. प्रतिलिपि जारी करने की दिनांक 7-2-10
10. प्रतिलिपि डाक द्वारा भेजने की दिनांक

प्रति

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

आपको

- (1) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...
- (2) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...
- (3) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...
- (4) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...
- (5) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...
- (6) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...
- (7) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...
- (8) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...
- (9) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...
- (10) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई...

1. प्रार्थना रूप का क्रमांक व वर्ष
2. प्रार्थना रूप प्रस्तुत करने की दिनांक
3. पूर्णों की संख्या
4. प्रतिनिधित्व की पूर्ण संख्या
5. एम गैर प्रस्तुत की संख्या
6. कोडों की संख्या
7. प्रार्थना रूप की संख्या
8. प्रार्थना रूप की संख्या
9. प्रार्थना रूप की संख्या
10. प्रार्थना रूप की संख्या

41



1944

1982 1983

[General Index (1961), Part III, Appendix B, Group No. 7]

SECRET

22/11

[Faint, illegible handwritten notes and stamps]

२५) एक ही विषय में बोलने का
देना मात्र नहीं है बल्कि एक-एक
ही में उसका भी सम्बन्ध है।
३४) दोनो ही

G
2007/08/15

[Faint handwritten notes in Hindi script, mostly illegible due to fading.]

४५/२ - बकाय बकाय क इति नया इति - नया नया नया
 जिना नया नया नया नया नया
 नया नया नया नया नया नया नया नया नया नया
 नया नया नया नया नया नया नया नया नया नया

सत्य प्रमाणित

200

(A) भारत की जनसंख्या में
कौन सा राज्य सबसे अधिक है ?
उत्तर : बिहार 1981-82

कु. मंगलचौधरी बाबाजी १ र. २०.
नाम रोजी २०५' १०५'

५) रोगी तमपुत्र रोग - भागी कु प्रजापति देवदेव

५. जोरार मिश्रा १. काली दु प्रताप मिश्रा
मोक्ष मोक्ष वेदी साहू १. योग साहू १

५ पचास टिके (५) ५५ टिके
दे टिके ५५ टिके
(५) ५५ टिके ५५ टिके
मिशन ५५ टिके
तो ५५ टिके ५५ टिके
५५ टिके ५५ टिके

कुम्भ मल मार लाने के पुण्य, विना - विना
लगाकर - लगाकर

2000

~~SECRET~~ - 9/11/77 - 101

[illegible]

13/11/2002



शपथ-पत्र

मैं कि आपजी विजय सिंह आयु 73 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी जाति राजपूत निवासी मोहन निवास सिविल लाईन्स, स्टेशन रोड, कोटा, राजस्थान का हूँ जो कि ईश्वर को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करता हूँ:-

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि जो कि मेरे दादाजी आपजी ओंकार सिंह जी ठिकाना पलायथा जिला बांरा (तत्समय जिला कोटा) के जागीरदार थे। मैं स्वयं उनका वंशज हूँ।

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि तत्समय आपजी ओंकार सिंह जी ने अपने जीवन काल में महकमा खास कोटा के आदेश से तत्समय म्युनिसिपल बोर्ड शहर कोटा से, उनके द्वारा आबादी विस्तार की आवश्यकता व मंशा से, कोटा शहर से स्टेशन रोड, कोटा के पश्चिम दिशा में स्थित कुल भूमि 54264 वर्गगज की कीमतन खरीद किया था, जिसकी कीमत को तत्समय रसीद संख्या- 498 दिनांक 02.06.1936 से 3500/- रुपये व रसीद नम्बर 1074 दिनांक 30.09.1937 से 160 रु 9 आने को जमा कर खरीदशुदा जमीन को अपने मालिकाना कब्जे स्वामित्व में ले लिया था। जिस बाबत दिनांक 26.02.1940 में म्युनिसिपल बोर्ड कोटा द्वारा तामीर इजाजत भी उक्त भूमि बाबत दी गयी थी, दादा जी श्री ओंकार सिंह जी की मृत्यु दिनांक 27.06.1951 को होने के पश्चात् उनके पुत्र अजीत सिंह जी (मेरे पिता) को अन्य सम्पत्तियों के अलावा उक्त उनकी सम्पत्ति खरीदशुदा भूमि भी पैतृक रूप में प्राप्त हुई थी। इस कुल भूमि में मोहन निवास मध्य में निर्मित करवाया गया था, इस कारण उक्त कुल भूमि परिसर वाली भूमि व भवन को "मोहन निवास" के नाम से जाना जाता रहा है।

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि तत्समय आपजी अजीत सिंह जी ने अपने जीवन काल में मोहन निवास परिसर में स्थित कुल भूमि 54264 वर्गगज का अन्य परिवार जनो की सम्पत्ति हिस्से को तय करने के अलावा उक्त भूमि में से अपनी पुत्र वधु जसवन्त कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह जी को पैमायशी 3349 वर्गगज भूमि दक्षिण दिशा की और वाली तय कर संभला दी थी तथा अन्य शेष भूमि को पत्नी नवनिधी कुमारी जी, पुत्र विजय सिंह (स्वयं मुक्ति) जसवन्त सिंह को देना तय कर दिया था।

Vy. Singh

ATTESTED
16/1/2016
ANIL KUMAR JAIP
Notary (Govt of India)
JAIPUR (Raj.)

क.सं 3424 दिनांक 14/9/2006

एकम 10 रु

नाम जाम जी विजयसिंह

पिता/पति का नाम शन्त. अजीत सिंह

पत्नी का नाम इलफ नामा

राम मोहन शर्मा
सह्य विक्रेता
72 चूगीनाका आटवाडाण जयपुर



मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि अजीत सिंह जी का स्वर्णवाम नामक प्लॉट नं. 62/1976 को दो जगहों पर मेरे द्वारा, जसवंत सिंह (भाई), सुशीला कुमारी (पत्नी) व नर्दनीवी कुमारी जी (माता जी) द्वारा आपसी सहमति व सभी के मध्य हुई स्वीकृति से तय कर पारिवारिक विभाजन से संभलाई गयी, सभी सम्पत्तियों के संबंध में एक दस्तावेज परिव्याज पत्र दिनांक 27.09.1971 को आपसी समझ से दो जगहों की उपस्थिति में स्वयं पर विधायित कर उसे सब तहसील अन्ता के यहां पंजीबद्ध भी करवा दिया था। जिस अनुसार जसवंत सिंह को उक्त भूमि में से 2291 वर्गगज (20,619 वर्गफुट) भूमि का हिस्सा तय कर संभलाने का जिक्र है। जिस मुताबिक उक्त तय कर संभलाई गयी हिस्से/सम्पत्तियों के अलावा, शेष बची सम्पत्ति भूमि भवन परिसर "मोहन निवास" मय सारवेन्ट क्वार्टर सहित मेरे हक व हिस्से व मालिकाना कब्जे स्वामित्व में रहना मानते हुए सभी के द्वारा स्वीकार गया। जिस अनुसार-"मोहन निवास" परिसर मय भूमि भवन सम्पत्ति परिसर मेरे मालिकाना कब्जे स्वामित्व की रही। यह दस्तावेज दिनांक 27.09.1971 के सम्बन्ध में किट्टी-के द्वारा वर्तमान तक न तो आपत्ति की गयी है, न किसी प्रकार से विवादित ही रहा है।

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि तत्पश्चात् मुझ मुक़िर को पूर्व में पेट्टक हक हिस्से में प्राप्त मालिकाना कब्जे स्वामित्व वाली सम्पत्तियों बाबत् एक दीवानी वाद न्यायालय जिला जली कोटा में बउनवान प्रताप सिंह आदि बनाम विजय सिंह का वाद संख्या 22/71 का दर्ज रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें मुझ मुक़िर, पुत्र प्रताप सिंह, संजय सिंह, पुत्री स्मृति कुमारी व पत्नि सुशीला कुमारी के मध्य मेरी उक्त सम्पत्ति बाबत् विभाजन आपसी सहमति से दिनांक 14.01.1972 को पेश किया गया, जो माननीय न्यायालय जिला जली, कोटा द्वारा दिनांक 17.01.1972 को निर्णित करते हुए डिक्री किया गया, जिस अनुसार उक्त वर्णित भूमि व भवन परिसर "मोहन निवास" में से पडत भूमि उत्तर-दक्षिणी दिशा की पैमायशी $192 \times 266 = 51072$ वर्गफुट (5,674.66 वर्गगज) प्रताप सिंह के हक हिस्से में, पडत भूमि दक्षिण दिशा की पैमायशी $255 \times 133 = 33915$ वर्गफुट (3,767.33 वर्गगज) पुत्र संजय सिंह को तथा शेष बची सम्पत्ति परिसर भूमि भवन "मोहन निवास" पैमायशी 39181 वर्गगज (3,52,638 वर्गफुट) वाके स्टेशन रोड़, सिविल लाईन्स कोटा को सुशीला कुमारी (मेरी धर्मपत्नि) के हक हिस्से में देना तय किया गया। जिस अनुसार उक्त सभी अपने-अपने विभाजन में प्राप्त उक्त वर्णित सम्पत्तियों के मालिक स्वामी व काबिज चले आ रहे हैं।

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी धर्मपत्नि सुशीला कुमारी के हक हिस्से में न्यायालय जिला जली कोटा की विभाजन की डिक्री दिनांक 17.01.1972 अनुसार सम्पत्ति "मोहन निवास" परिसर स्थित कुल भूमि-भवन पैमायशी 39,181 वर्गगज (3,52,638 वर्गफुट) की एकमात्र मालिक स्वामी व काबिज सुशीला कुमारी (मेरी धर्मपत्नि) ही चली आ रही है। जिस अनुसार उक्त सम्पत्ति सुशीला कुमारी जी के ही मालिकाना कब्जे स्वामित्व में है, जिस बाबत् सभी मेरे परिवार जन, भाई जसवंत सिंह व अन्य सभी को जानकारी रही है, जिस बाबत् कभी किसी के द्वारा कोई आपत्ति ऐतराज भी नहीं किया गया है। उक्त प्राप्त सम्पत्ति को सुशीला कुमारी हर प्रकार से अपने उपयोग-उपभोग, निर्माण, रहन, हस्तान्तरण, विक्रय आदि करने की एकमात्र रूप से अधिकारिणी है। उक्त बाबत् किसी के द्वारा ऐतराज नहीं किया गया है और ना ही कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।

Yagm

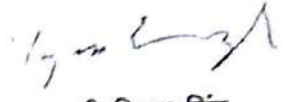
ATTESTED
16/9/16
ARIL KUMAR JAIN
Notary Public
JALPUR (Raj.)

40-C



मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति परिवार किसी के द्वारा उक्त के संबंध में कोई आपत्ति ऐतराज किया जाता है तो ऐसी अपेक्षा सर्वदा रद्द व भिन्न होगी, जिसको करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित सामग्री धरुण सही व सत्य है। ईश्वर सब बोलने में मेरी सहायता करे।


आपजी विजय सिंह
शपथकर्ता

स्थान:-कोटा

दिनांक: Identified by.

गवाह:-
नाहरा सिंह S/O स्व. श्री कुल सिंह राठौर
119 अवधपुरी कालवाड़ रोड सो. 2 बाडा जयपुर

ATTESTED

ANIL KUMAR JAIN
Notary (Govt of India)
JAIPUR (Raj.)



स्वीकारोक्ति (सहमति पत्र)

मैं कि आपजी विजय सिंह आयु 73 वर्ष आत्मज स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी ज्योति राजपूत निवासी मोहन निवास सिविल लाईन्स, स्टेशन रोड, कोटा, राजस्थान का हूँ:-

जो कि मुझ मुक्ति के दादा जी आपजी ओंकार सिंह जी टिकना पलायथा जिला बांस तत्समय जिला कोटा के जागीरदार थे। मैं स्वयं उनका वंशज हूँ।

जो कि ओंकार सिंह जी ने अपने जीवन काल में महकमा खास कोटा के आदेश से तत्समय म्युनिसिपल बोर्ड कोटा कोटा से उनके द्वारा आवासीय विस्तार की आवश्यकता व मंशा से कोटा शहर से स्टेशन रोड, कोटा के पश्चिम दिशा में स्थित कुल भूमि 54264 वर्गगज की कीमतन खरीद किया था, जिसकी कीमत को तत्समय रसीद नं. 498 दिनांक 02.06.1936 से 3500/- रुपये व रसीद नम्बर 1074 दिनांक 30.09.1937 से 160 रु 9 आने को जमा कर खरीदशुदा जमीन को अपने मालिकाना कब्जे स्वागित्व में ले लिया था। जिस बाबत दिनांक 26.02.1940 में म्युनिसिपल बोर्ड कोटा द्वारा तामीर इजाजत भी उक्त भूमि बाबत दी गयी थी। दादा जी श्री ओंकार सिंह जी की मृत्यु दिनांक 27.06.1951 को होने के पश्चात् उनके पुत्र अजीत सिंह जी (मुझ मुक्ति के पिता) को अन्य सम्पत्तियों के अलावा उक्त उनकी सम्पत्ति खरीदशुदा भूमि भी प्राप्त हुई थी। इस कुल भूमि में मोहन निवास मध्य में निर्मित करवाया गया था, इस कारण उक्त कुल भूमि परिसर वाली भूमि व भवन को "मोहन निवास" के नाम से जाना जाता रहा है।

जो कि तत्समय आपजी अजीत सिंह ने अपने जीवनकाल में सन् 1966 के लगभग अपनी सम्पत्तियों का मौखिक विभाजन किया था, जिसमें अन्य परिवार जनों को सम्पत्ति हिस्से को तय करने के अलावा उक्त भूमि में से अपनी पुत्र वधु जसवन्त कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह जी को पैमायशी 3349 वर्गगज भूमि दक्षिण दिशा की ओर वाली तय कर संभला दी थी तथा अन्य शेष भूमि को पत्नी नवनिधी कुमारी जी, पुत्र विजय सिंह (स्वयं मुक्ति) व जसवन्त सिंह को देना तय कर दिया था।

ATTESTED
ARIL KUMAR JAIN
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)

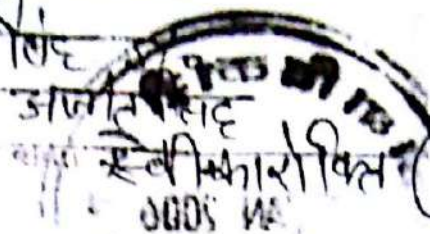
क.स. 3423 दिनांक 14/07/2006

संख्या 102

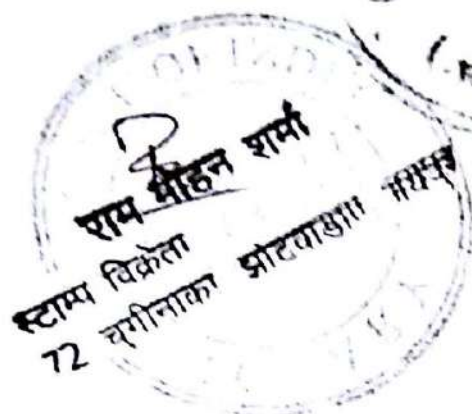
नाम आपजी विजय सिंह

पिता/पति का नाम स्व. अजय सिंह

पता कोटा



(सहभाषित पत्र)





जो कि अखिल सिंह जी का स्वामित्व दिनांक 08.03.1970 को मुक्ति, जयसदन सिंह (भाई), सुशीला कुमारी, जयस कुमारी (बहन) व अन्य सभी को अपनी सहमति व स्वीकृति के साथ हुई स्वीकृति से तब कर पंजीकृत विभाजन से संभल गई मय, सभी सम्पत्तियों के संबंध में एक दस्तावेज पंजीकृत 09 दिनांक 27.09.1971 को अपनी समझ से ही स्वामी की उपस्थिति में तब पर पंजीकृत कर उसे सब सहमति अन्तर्गत के सहो पंजीकृत भी कराया गया था। जिस अनुसार जयसदन सिंह को उक्त भूमि में से 2291 वर्गगज (28,619 वर्गफुट) भूमि का हिस्सा तब का संभलाने का हिस्सा है। जिस मुक्तिक उक्त तब कर संभल गई सभी हिस्से/सम्पत्तियों के अलावा, शेष बची सम्पत्ति भूमि भवन परिसर "मोहन निवास" मय सरवेन्ट क्वार्टर सहित मुझ मुक्ति के हक हिस्से व मालिकाना कब्जे स्वामित्व में रहना जानते हुए सभी के द्वारा स्वीकारा गया। जिस अनुसार-मोहन निवास परिसर मय भूमि भवन सम्पत्ति परिसर मुझ मुक्ति के मालिकाना कब्जे स्वामित्व की रही। यह दस्तावेज दिनांक 27.09.1971 के सम्बन्ध में किसी के द्वारा वर्तमान तक न तो आपत्ति की गयी है, न किसी प्रकार से विवादित ही रहा है।

जो कि तत्पश्चात् मुझ मुक्ति को पूर्व में पैतृक हक हिस्से में प्राप्त मालिकाना कब्जे स्वामित्व वाली सम्पत्तियों बाबत एक दीवानी वाद न्यायालय जिला जजी कोटा में बउनवाल सुशीला कुमारी, संजय सिंह, स्मृति कुमारी, प्रताप सिंह आदि बनाम विजय सिंह का संख्या 22/71 का दर्ज रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें मुझ मुक्ति, पुत्र प्रताप सिंह, संजय सिंह, पुत्री स्मृति कुमारी व पत्नि सुशीला कुमारी के मध्य मेरी उक्त सम्पत्ति बाबत विभाजन आपसी सहमति से दिनांक 14.06.1972 को पेश किया गया, जो माननीय न्यायालय जिला जजी कोटा द्वारा दिनांक 17.01.1972 को निर्णित करते हुए डिक्री किया गया, जिस अनुसार उक्त वर्णित भूमि व भवन परिसर "मोहन निवास" में से पडत भूमि उत्तर-दक्षिणी दिशा की पैमायशी $192 \times 266 = 51072$ वर्गफुट (5,674.66 वर्गगज) प्रताप सिंह के हक हिस्से में, पडत भूमि दक्षिण दिशा की पैमायशी $255 \times 133 = 33915$ वर्गफुट (3,767.33 वर्गगज) पुत्र संजय सिंह को तथा शेष बची सम्पत्ति परिसर भूमि भवन "मोहन निवास" पैमायशी 39181 वर्गगज (3,52,638 वर्गफुट) वाके स्टेशन रोड़, सिविल लाईन्स कोटा को सुशीला कुमारी (मुझ मुक्ति की धर्मपत्नि) के हक हिस्से में देना तय किया गया। जिस अनुसार उक्त सभी अपने-अपने विभाजन में प्राप्त उक्त वर्णित सम्पत्तियों के मालिक स्वामी व काविज चले आ रहे हैं।

जो कि उक्तानुसार मुझ मुक्ति की धर्मपत्नि सुशीला कुमारी के हक हिस्से में न्यायालय जिला जजी कोटा की विभाजन की डिक्री दिनांक 17.01.1972 अनुसार सम्पत्ति "मोहन निवास" परिसर स्थित कुल भूमि-भवन पैमायशी 39,181 वर्गगज (3,52,638 वर्गफुट) की एकमात्र मालिक स्वामी व काविज सुशीला कुमारी (मुझ मुक्ति की धर्मपत्नि) ही चली आ रही हैं। जिस अनुसार उक्त सम्पत्ति सुशीला कुमारी जी के ही मालिकाना कब्जे स्वामित्व में है, जिस बाबत सभी जो परिवार जन, भाई जयसदन सिंह व अन्य सभी को

ATTESTED
16/9/86
ARUL KUMAR JAIN
Notary (Govt of India)
JAIPUR (Raj.)



जाकारी रही है, जिस बाबत कभी किसी के द्वारा कोई आपत्ति ऐत
। उक्त प्राप्त सम्पत्ति को सुशीला कुमारी हर प्रकार से अपने उपयोग-उपभोग, निर्माण,
हब्ब, हस्तान्तरण, विक्रय आदि करने की एकमात्र रूप से अधिकारिणी है।

जो कि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति परिवार जन या अन्य किसी के द्वारा उक्त के
संबंध में कोई आपत्ति ऐतराज किया जाता है तो ऐसी आपत्ति ऐतराज सर्वथा रद्द व मिथ्या
होगा, जिसको करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।

अतः यह स्वीकारोचित (सहमति पत्र) दस्तावेज मुझ मुक्ति ने पूर्ण होश-हवास, स्थिर
बुद्धि, स्वस्थ चित्त अवस्था में, सोच समझकर, पूर्ण दिल दिमाग से व बिना किसी दाब दबाव
के दो गवाहों की उपस्थिति में अपने व गवाहान के हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर जो स्टम्प
कीमति 100/- रुपये व सादे 2 पाई पेपर कुल किता पर निष्पादित किया है, जो सनद रहे
तथा वक्त जरूरत काम आवें।

हस्ताक्षर मुक्ति

Vy ...
आपजी विजय सिंह

हस्ताक्षर गवाहान

1. प्रताप सिंह Pratap Singh

2. संजय सिंह, Sanjay Singh

3. स्मृति कुमारी Smriti Kumari
Identified by.

गवाह :-
नाहर सिंह 310 स्व. श्री अला सिंह
119 अवधपुरी का लगान रेंड
झोटावाड़ा जयपुर

ATTESTED
ANIL KUMAR JAIN
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)
16/9/06

ATTESTED
ANIL KUMAR JAIN
Notary (Govt. of India)
JAIPUR (Raj.)
16/9/06

कलक्टर (नू-अग्नि) कोटा

www.Lota.nic.in

41

दिनांक 15 दिसम्बर 2010

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणों के साथ सत्यापन भूमि का
प्रमाणित एवं पंजीकृत किया गया है।
प्रमाणित पत्र क्रमांक: सनिको/मुकाअ/2010/9557
दिनांक: 25-10-2010

प्रमाणित

प्रमाणित पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि ग्राम ~~खण्ड~~ गांवडी
में निम्नलिखित विवरणों के साथ सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा प्रमाणित
पत्र क्रमांक: सनिको/मुकाअ/2010/9557 दिनांक: 25-10-2010 हेतु प्रेषित है।

भवदीय

कलक्टर (नू-अग्नि)
कोटा

0741-2325342 (Fax) e-mail : dm-kot@nic.in
www.Lota.nic.in

(६) कमरुद्दीन साहू भूमापक

Scanned by CamScanner

১০২৫১৩০০

[Handwritten notes:]

Amari Lal Saran
D.S. V.T.
Kishor Chandra
Sardar Singh
Gopal Singh
M. S. Singh
M. S. Singh

43

[illegible]

[Handwritten musical notation]

4/20/2019

811 9-23-20

समिति - रतन इलाका

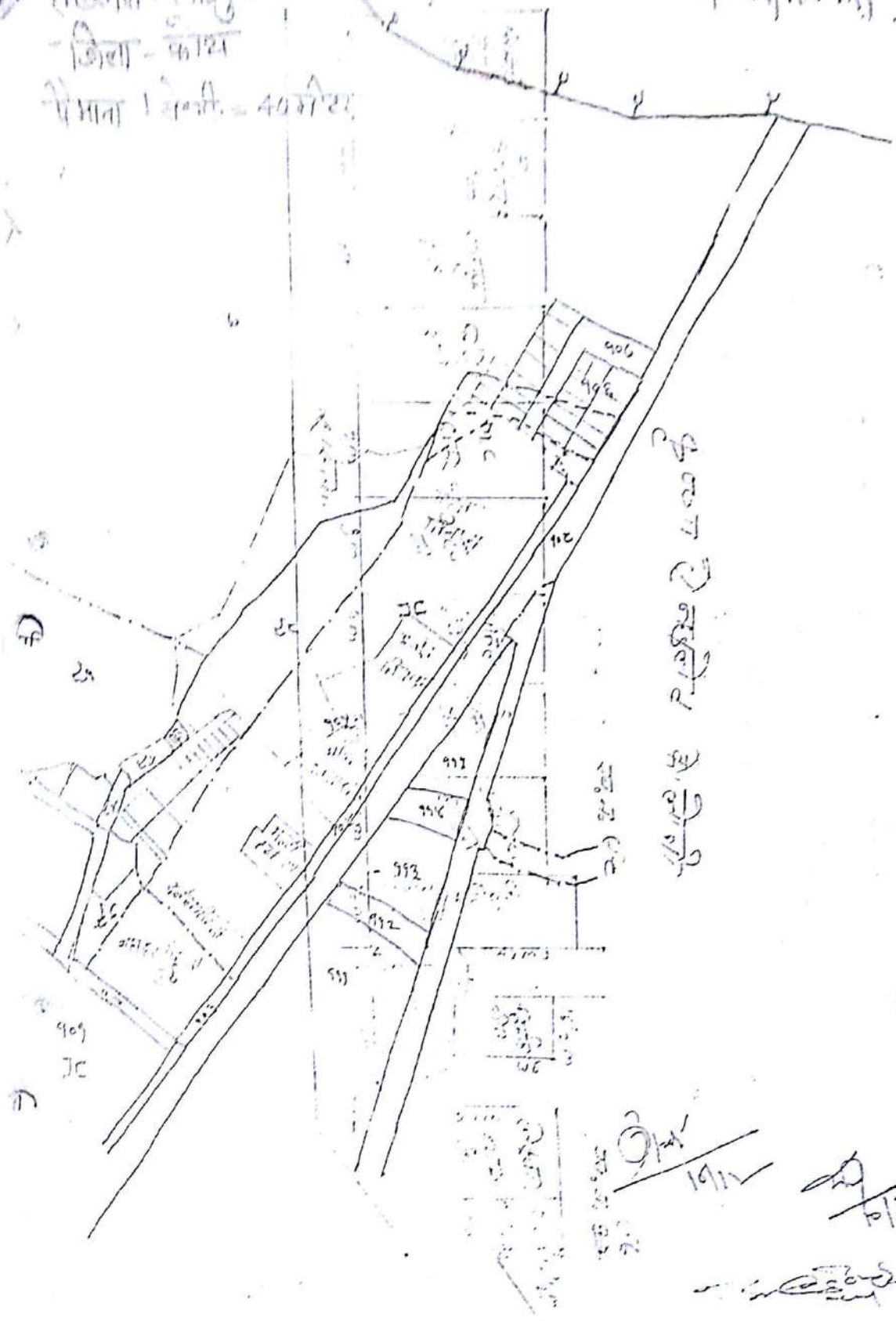
तहसील - लाउपुरा

जिला - काठ

पैमाना 1 सेमी. = 40 मीटर

सन् 1978

१०/११/१९७९



कुल १००० हे. जमीनी

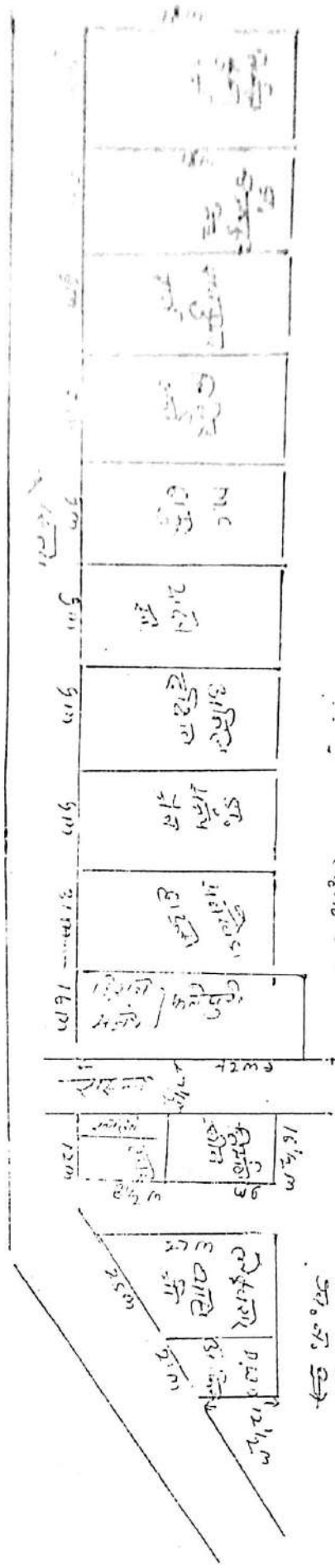
१०/११/१९७९

१०/११/१९७९

45
 7-7/11-2020

કચ્છના જિલ્લાના કોલોનીયલ

જાહેર (સી)



જાહેર (સી)

સરકારી કોલોનીયલ

46



१७७७ - १७७८ - १७७९
 १७८० - १७८१ - १७८२
 १७८३ - १७८४ - १७८५
 १७८६ - १७८७ - १७८८
 १७८९ - १७९० - १७९१
 १७९२ - १७९३ - १७९४
 १७९५ - १७९६ - १७९७
 १७९८ - १७९९ - १८००
 १८०१ - १८०२ - १८०३
 १८०४ - १८०५ - १८०६
 १८०७ - १८०८ - १८०९
 १८१० - १८११ - १८१२
 १८१३ - १८१४ - १८१५
 १८१६ - १८१७ - १८१८
 १८१९ - १८२० - १८२१
 १८२२ - १८२३ - १८२४
 १८२५ - १८२६ - १८२७
 १८२८ - १८२९ - १८३०
 १८३१ - १८३२ - १८३३
 १८३४ - १८३५ - १८३६
 १८३७ - १८३८ - १८३९
 १८४० - १८४१ - १८४२
 १८४३ - १८४४ - १८४५
 १८४६ - १८४७ - १८४८
 १८४९ - १८५० - १८५१
 १८५२ - १८५३ - १८५४
 १८५५ - १८५६ - १८५७
 १८५८ - १८५९ - १८६०
 १८६१ - १८६२ - १८६३
 १८६४ - १८६५ - १८६६
 १८६७ - १८६८ - १८६९
 १८७० - १८७१ - १८७२
 १८७३ - १८७४ - १८७५
 १८७६ - १८७७ - १८७८
 १८७९ - १८८० - १८८१
 १८८२ - १८८३ - १८८४
 १८८५ - १८८६ - १८८७
 १८८८ - १८८९ - १८९०
 १८९१ - १८९२ - १८९३
 १८९४ - १८९५ - १८९६
 १८९७ - १८९८ - १८९९
 १९०० - १९०१ - १९०२
 १९०३ - १९०४ - १९०५
 १९०६ - १९०७ - १९०८
 १९०९ - १९१० - १९११
 १९१२ - १९१३ - १९१४
 १९१५ - १९१६ - १९१७
 १९१८ - १९१९ - १९२०
 १९२१ - १९२२ - १९२३
 १९२४ - १९२५ - १९२६
 १९२७ - १९२८ - १९२९
 १९३० - १९३१ - १९३२
 १९३३ - १९३४ - १९३५
 १९३६ - १९३७ - १९३८
 १९३९ - १९४० - १९४१
 १९४२ - १९४३ - १९४४
 १९४५ - १९४६ - १९४७
 १९४८ - १९४९ - १९५०
 १९५१ - १९५२ - १९५३
 १९५४ - १९५५ - १९५६
 १९५७ - १९५८ - १९५९
 १९६० - १९६१ - १९६२
 १९६३ - १९६४ - १९६५
 १९६६ - १९६७ - १९६८
 १९६९ - १९७० - १९७१
 १९७२ - १९७३ - १९७४
 १९७५ - १९७६ - १९७७
 १९७८ - १९७९ - १९८०
 १९८१ - १९८२ - १९८३
 १९८४ - १९८५ - १९८६
 १९८७ - १९८८ - १९८९
 १९९० - १९९१ - १९९२
 १९९३ - १९९४ - १९९५
 १९९६ - १९९७ - १९९८
 १९९९ - २००० - २००१
 २००२ - २००३ - २००४
 २००५ - २००६ - २००७
 २००८ - २००९ - २०१०
 २०११ - २०१२ - २०१३
 २०१४ - २०१५ - २०१६
 २०१७ - २०१८ - २०१९
 २०२० - २०२१ - २०२२
 २०२३ - २०२४ - २०२५
 २०२६ - २०२७ - २०२८
 २०२९ - २०३० - २०३१
 २०३२ - २०३३ - २०३४
 २०३५ - २०३६ - २०३७
 २०३८ - २०३९ - २०४०
 २०४१ - २०४२ - २०४३
 २०४४ - २०४५ - २०४६
 २०४७ - २०४८ - २०४९
 २०५० - २०५१ - २०५२
 २०५३ - २०५४ - २०५५
 २०५६ - २०५७ - २०५८
 २०५९ - २०६० - २०६१
 २०६२ - २०६३ - २०६४
 २०६५ - २०६६ - २०६७
 २०६८ - २०६९ - २०७०
 २०७१ - २०७२ - २०७३
 २०७४ - २०७५ - २०७६
 २०७७ - २०७८ - २०७९
 २०८० - २०८१ - २०८२
 २०८३ - २०८४ - २०८५
 २०८६ - २०८७ - २०८८
 २०८९ - २०९० - २०९१
 २०९२ - २०९३ - २०९४
 २०९५ - २०९६ - २०९७
 २०९८ - २०९९ - २१००
 २१०१ - २१०२ - २१०३
 २१०४ - २१०५ - २१०६
 २१०७ - २१०८ - २१०९
 २११० - २१११ - २११२
 २११३ - २११४ - २११५
 २११६ - २११७ - २११८
 २११९ - २१२० - २१२१
 २१२२ - २१२३ - २१२४
 २१२५ - २१२६ - २१२७
 २१२८ - २१२९ - २१३०
 २१३१ - २१३२ - २१३३
 २१३४ - २१३५ - २१३६
 २१३७ - २१३८ - २१३९
 २१४० - २१४१ - २१४२
 २१४३ - २१४४ - २१४५
 २१४६ - २१४७ - २१४८

प्राप्त		मापित	
क्र.सं.	दिनांक	क्र.सं.	दिनांक
6	20.10	28.10.2009	
7	20.10	28.10.2009	
8	20.10	28.10.2009	
9	20.10	28.10.2009	
10	20.10	28.10.2009	
11	20.10	28.10.2009	
12	20.10	28.10.2009	
13	20.10	28.10.2009	
14	20.10	28.10.2009	
15	20.10	28.10.2009	
16	20.10	28.10.2009	
17	20.10	28.10.2009	
18	20.10	28.10.2009	
19	20.10	28.10.2009	
20	20.10	28.10.2009	

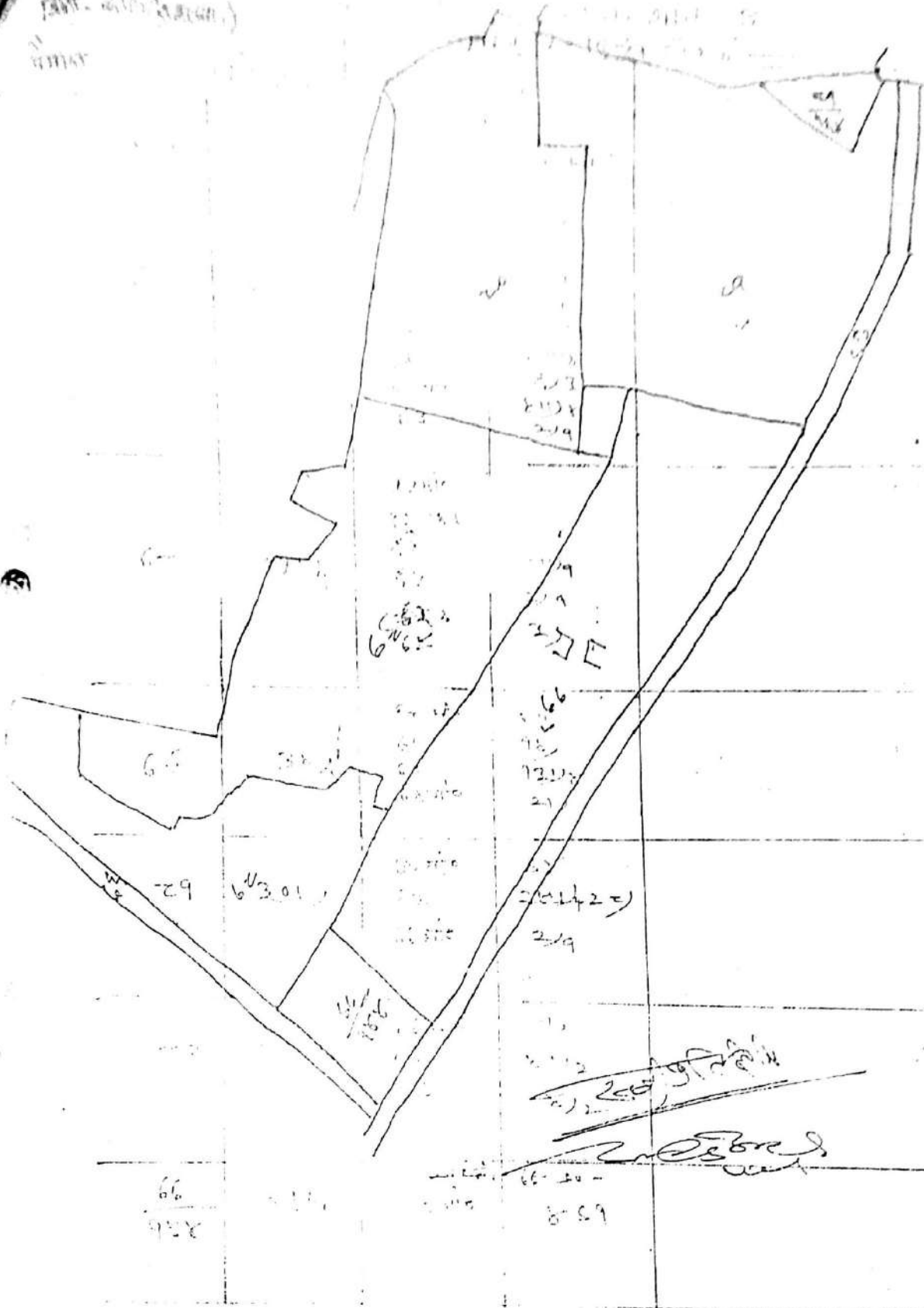
50-

~~1~~ ¹/₂ 017

2
Bing's
12/12

संख्या १००/१००
तारीख १०/१०/१०
विषय १०/१०/१०
पान १

४०



ਮਾਸ਼ਰ	ਕਰਕੀ	ਮਾਸ਼ਰ	ਕਰਕੀ	
61	221114	874/6 82 82 85 86 87 88 6040 63	812 19 9119 19 2118 8118 812 8118 319	
62	9414	2240 82 (43) 88 88 88 62	1 912 2119 319 3	
63	28/8	8240 6040 64 6840	811 98 9218 21	
64	201	6040 62 6640	58 24142 319	
65	2118	6640 62 68	1 812 812	
66	8119	6640 6040	859	

— So —

[Signature]

कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज0)

तारीख: 2010 / 10 / 29

दिनांक: 05-01-2011

श्री लोकायुक्त महोदय,
स्थान सरकार
पुनर

विषय :- श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी श्री विजय सिंह पलायथा
मोहन निवास कोटा द्वारा मोहन निवास की विवादग्रस्त
भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराने एवं भवन निर्माण
स्वीकृति चाहे जाने के संबंध में शिकायत-पत्र।
प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक 116(146)LAS/2008/469 दि०
24.04.2010 एवं इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 570
दिनांक 19.10.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नी श्री विजय सिंह पलायथा निवासी मोहन निवास, कोटा द्वारा भवन निर्माण हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई थी। पत्रावली के परीक्षण के दौरान जानकारी हुई कि जिस भूमि पर बहुमंजिला इमारतें बनाने का आवेदन किया गया है, उस भूमि में 4862.75 वर्गमीटर भूमि शैक्षणिक व महाविद्यालय तथा 1623.34 वर्गमीटर भूमि को मास्टर प्लान 2023 में वृक्षारोपण के लिए सुरक्षित किया गया है। ऐसी दशा में प्रार्थीया को निर्माण स्वीकृति से पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन के लिए पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु अवगत कराया गया। इस आधार पर प्रार्थीया द्वारा अपनी आबादी भूमि को शैक्षणिक वृक्षारोपण व महाविद्यालय से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई। उक्त भूमि ठिकाना पलायथा को महकमा खास 160-0 प्ल 9 भा 1 के आदेश से म्यूनिसिपल बोर्ड, कोटा के द्वारा 3500 + 960.12 रकम जमा करायी जाकर सन् 1936 में कुल रकबा 54264 वर्गगज दी गई। इस भूमि में रियासतकाल से ही मोहन निवास सर्वेन्ट क्वार्टर आदि बने हुए हैं तथा भूमि चार दीवारी से घिरी हुई है। प्रार्थीया को यह भूमि न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा की डिक्री व रजिनामा दिनांक 17.01.1972 के अनुसार प्रार्थीया के पति श्री विजय सिंह पलायथा द्वारा प्राप्त हुई। श्री विजय सिंह को यह भूमि परित्याग-पत्र दिनांक 27.09.1971 के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण व परिवार के सदस्यों के द्वारा परित्याग-पत्र में अधिकार देने से प्राप्त हुई है, जिसमें सभी पारिवारिक सदस्यों के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर हैं।

उक्त भूमि न्यायालय की डिक्री दिनांक 17.01.1972 के अनुसार

श्रीमती प्रार्थीया कुमारी का पांच हुई है जिसमें न्युन सीमाएं निम्न प्रकार से हैं

पुरुष

महिला

बालक

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

बालिका

51

प्रयोजनार्थ दर्ज जमीन दिनांक 1936 में भी जमीन मालिक की तत्कालीन जमीनदार प्रार्थीया को विक्रय कर दिये जाने के तथ्यों के परिपेक्ष्य में भूमि की नाप हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, कोटा को पत्रांक नमिका/मु.का.अ./2010/9557-58 दिनांक 25.10.2010 से निवेदन किया गया। इस आवेदन पर उनके द्वारा गठित कमेटी जिसमें सेंटलगेन्ट विभाग, राजस्व विभाग व नगर विकास न्यास के कर्मचारी व अधिकारी लगाये गये थे। उनके द्वारा गीके पर सर्वे दिनांक 06.12.2010 से 10.12.2010 तक किया गया। जिसमें निम्न निम्न में खसरा नं. 105 की रकबा 2.69 हेक्टर है, जिसमें अजीत निवार की 0.47 हेक्टर भूमि शामिल है। महन निवार की चारदावारी में खसरा नं. 98 की 1.08 हेक्टर तथा खसरा नं. 7 की 0.75 हेक्टर कुल 4.52 हेक्टर भूमि है, जो 54240 वर्गगज होती है। प्रार्थीया के परिवार व स्वयं की खरीदशुदा भूमि 54264 वर्गगज है, जो 50-60 वर्षों से प्रार्थीया व उसके परिजनों के कब्जे में है एवं जिसकी राशि महकमा खारा के आदेश से पालिका बोर्ड में वर्ष 1936-37 में जमा करवायी गई थी। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया व उसके परिवार वालों के द्वारा किसी भी सरकारी भूमि व विभाग की भूमि का कब्जा नहीं किया हुआ है वरन् प्रार्थीया की स्वयं की भूमि है तथा वर्तमान में खरीदशुदा भूमि व कब्जे भूमि पर कब्जे में है।

मास्टर प्लान में भूमि का भू-उपयोग बदलने से भूमि का स्वामित्व (मालिकाना हक) नहीं बदलता है। यह पूर्णतया आबदी भूमि है तथा मास्टर प्लान 2023 में इस भूमि का भू-उपयोग आंशिक आवासीय, आंशिक वृक्षारोपण व विद्यालय हेतु आंशिक बताया गया है। मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग आवासीय से अन्य होने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की गई है जो कि विधिवत व समस्त प्रक्रिया को पूरी करके ही करवाई गई है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा के समक्ष दायर बाद संख्या 90, 03 दिनांक 15.11.2007 के अनुसार भी यह भूमि पूर्ण रूप से आबदी की माने गयी है। यह भूमि संपूर्ण रूप से फ्री होल्ड भूमि है तथा भूमि प्रार्थीया के पूर्वजों द्वारा खरीदशुदा

452

1. तहसीलदार लाडपुरा को कोटा की आवादी भूमि को आवादी भूमि माना है। इस भूमि का स्वामित्व एडीएल जागीर जगतेश्वर जागीर के पट्टा 12.31 तहसीलदार फहरिस्त दिनांक 20.03.1954 में कोटा है। आवादी भूमि का स्वामित्व कबो को आवादी भूमि में लिये जाने हेतु विधिक भूमि की जांच के बाद करनी पड़ेगी है। इस भूमि पर आवासीय भवन व गार दीवारी फिरोज 50 100 नमों से बना है। इस भूमि पर व उसके परिजनों के कब्जे में है व इसी में निवास करते चल आ रहे हैं।

आवादी भूमि पर भू-उपयोग परिवर्तन कक्षा निर्माण की पूर्ति के बाद कोटा अधिकार नगर निगम कोटा को है। आवादी भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकन नाम से नहीं होता है तथा आवादी भूमि की निगम को परिभाषित करने का अधिकार भी राजस्व विभाग, सेटलमेंट विभाग या अन्य किसी विभाग को नहीं है, इसमें केवल नगर निगम नगर परिषद ही सक्षम है।

ऐसी स्थिति में नगर निगम कोटा द्वारा प्रार्थीया की भूमि का किया गया भू-उपयोग परिवर्तन विधि सम्मत है। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत बेवजया है एवं तथ्य से परे है। अतः वाद खारिज फरमाने का श्रम करें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम कोटा

संलग्न :-

1. डिस्ट्रिक्ट जजी कोटा की आर्डरशीट दिनांक 17.01.72 की प्रति पृष्ठ संख्या 1-3
2. डिस्ट्रिक्ट जजी कोटा में प्रस्तुत राजीनामा पृष्ठ संख्या 4-5
3. डिक्ली दिनांक 3.11.71 पृष्ठ संख्या 6-7
4. रसीद दिनांक 2.6.1936 पृष्ठ संख्या 8
5. रसीद दिनांक 30.9.1937 पृष्ठ संख्या 9
6. परियाग पत्र पृष्ठ संख्या 10-13
7. न्याया. उपखण्ड अधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 15.11.07 पृष्ठ संख्या 14-15
8. न्याया. तहसीलदार लाडपुरा कोटा का निर्णय दि. 10.03.10 पृष्ठ संख्या 16-17
9. जिला कलेक्टर महो. कोटा को सुशीला कुमारी के स्वामित्व की भूमि की जांच करने हेतु प्रार्थना पत्र पृष्ठ संख्या 18
10. जिला कलेक्टर महो. कोटा के द्वारा प्रेषित भूमि सीमांकन एवं पैमाईश रिपोर्ट पृष्ठ संख्या नं. 19-27
11. फहरिस्त प्राईवेट निजी जागीरदार साहब ठिकाना मलारणा पृष्ठ संख्या 33-36

सहायक सचिव, राजस्थान

सहायक सचिव,
जयपुर (राजस्थान)

श्री राम निवास शर्मा, सेवानिवृत्त आयुक्त,
प्रेमिनि: निवासी- ब्रह्म निम्बूज, करन्ट बालाजी रोड,
पोस्ट अगिस्त लाडन,
जिला नागौर ।

56

क्रमांक F16(146)/LAS/2008/1038

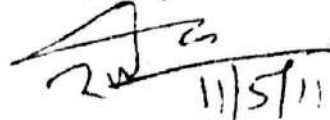
जयपुर, दिनांक 11/5/11

विषय:- आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 27.4.2011 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके विरुद्ध इस सचिवालय में विचाराधीन परिवाद द्वारा श्री रितोष मेवाडा, एडवोकेट, कोटा बाबत सुशीला कुमारी के भूमि निर्माण व भूमि संबंधित प्रकरण की शिकायत, इस सचिवालय में बंद कर दिया है ।

भवदीय,


11/5/11
अनुभागाधिकारी,

23/6/07

राजाभिषेक की झांकी सजाई

मंदिर में आयोजित राम कथा की पुर्वाहुति गुरुवार को हुई।

राम भगवान का पूरे सत्रह वर्षों का अयोध्या में आगमन किया गया। कथा में श्रीराम के राजाभिषेक की झांकी सजाई गई। कहा कि इस सत्रह से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करते हैं। समिति सदस्य नरेंद्र शौतम ने बताया कि कथा में राम का उद्धार होगा।



वत कथा

लाई से

आज

राज के 31वें व्रत में महावीर के बालबोरी से 8 जुलाई को आयोजित व्रत में भाग लेने साधक आएंगे।

उठाने व रम को गई है।

होना मेहता ने का के लिए करीव का फुट का वाटरपुफ क्वार से बनाया पारथ के 9 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराज महार होगे।

आयोजित राष्ट्रीय आयुक्त समिति जैन नगर विभाग, कोटा (राज.)

जैन नगर विभाग कोटा (राज.) के आयुक्त के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जैन नगर विभाग के अधिकारियों ने जैन नगर विभाग के विकास के लिए आवश्यक कार्यवाई के लिए निर्णय किया।

जैन नगर विभाग के अधिकारियों ने जैन नगर विभाग के विकास के लिए आवश्यक कार्यवाई के लिए निर्णय किया।

ITM UNIVERSE - ADMISSION NOTIFICATION
Central India's Premier Institution

B.Sc - Nursing **GNM**

M.Sc & B.Sc (Biotech.) **M.Sc & B.Sc (Micro)**

B.Ed / D.Ed

Approved by: Indian Nursing Council, Directorate of Medical Education, NCTE (Bhopal), Govt. of M.P.

Affiliated to: Jiwaji University (Gwalior)

Highest Placement: 125 Acres Campus 5000 Students 100% Placement

ITM Universe Campus, NH - 75 Jhansi Road, Gwalior M.P.

Ph: 0751-2440057, 2432977 (Ext. 304)

Mob: 09425308934, 09425308942, 09300630831

22-6-07

Ch. Charan Singh University, Meerut

All India Entrance Test

M.TECH - Bio-Technology - Electronics & Communication

5 year Integrated (P.W. Time)

Eligibility: 50% Minimum in 10+2 with PCB/PCM for Bio., PCM for EC

Admission Procedure

Brochure containing application forms with all details, fee, eligibility etc. can be downloaded from our website: www.iamrindia.com and www.ccsuniversity.org. Entrance Test will be based on 10+2 with PCB/PCM (CBSE / UP Board / state recognized Board Pattern). The complete application form with required fee should reach to Coordinator, Entrance Test (IAMR).

Important Dates

Last date of submission of complete application form: **June 25th, 2007**

Date of Entrance Test: **July 01st, 2007**

Entrance Test Centers

Delhi, Ghaziabad, Delhi radun, Lucknow, Varanasi, Ranchi, Patna, Chandigarh, Jaipur and Gwalior

Exam Coordinator

INSTITUTE OF APPLIED MEDICINES & RESEARCH

9th MILE STONE, DELHI-MEERUT ROAD, DUHA, GHAZIABAD (U.P.)

Tel.: 0120-2675904/05 Mob.: 9873280467, 9811171842

Telefax: 0120-2679144/45 Email: iamrgzb@rediffmail

Monsoon Dhamaka

शानदार बचत

• टॉक: 19 m-Kg

चत्तवल

भूउपयोग परिवर्तन आदेश

श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नि श्री विजय सिंह पलायथा निवासी मोहन निवास स्टेशन रोड कोटा वार्ड नं. 56 की भूमि में से आंशिक भूमि जिसका क्षेत्रफल 6496.09 वर्ग मीटर जो मास्टर प्लान 2001-2023 में आंशिक वृक्षारोपण व आंशिक सार्वजनिक व अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक महाविद्यालय) के लिए आरक्षित की गई थी की राज्य स्तरीय भूउपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 25.09.2008 के द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत निर्णय लिया गया है। राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के बिन्दु संख्या 7 (उपविभाजन के संबंध में) बिन्दु संख्या 6 (80 फीट चौड़े पहुँच मार्ग के संबंध में) एवं बिन्दु संख्या 4 (देय शुल्क के संबंध में) के संबंध में चआवेदक के पत्र दिनांक 02.06.11 के क्रम में उक्त बिन्दुओं के निर्धारण हेतु जिला स्तरीय भूउपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 08.12.11 में विचारार्थ रखा गया समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि

1. उक्त प्रकरण में नियमानुसार भूउपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं है।
2. प्रार्थी दिनांक 02.06.11 को सम्पूर्ण भूमि पर स्वीकृति हेतु आवेदन किये जाने के कारण उप विभाजन की आवश्यकता नहीं है।
3. उक्त सम्पूर्ण भूमि मुख्य स्टेशन रोड पर स्थित है, जिसकी चौड़ाई 80' फीट से अधिक है। अतः पहुँच मार्ग के बिन्दु की पूर्ति हो रही है।

अतः राज्य स्तरीय भूउपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 25.09.08 के लिए गए निर्णय के क्रम में मोहन निवास की आंशिक भूमि 6496.09 वर्ग मीटर भूमि का मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूउपयोग आंशिक वृक्षारोपण व आंशिक सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक महाविद्यालय) से आवासीय प्रयोजनार्थ भूउपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रकरण में भूउपयोग परिवर्तन की शुल्क देय नहीं है। अन्य शुल्क नियमानुसार जमा करवाने होंगे एवं राज्य स्तरीय भूउपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 25.09.08 में वर्णित अन्य शर्तों की पालना की जावेगी।

sd
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम कोटा।

क्रमांक / न.नि.को. / तामीर / 12 / 1739-46
पतिलिपि :-

दिनांक:- 25.10.12

1. माननीया महापौर महोदय नगर निगम कोटा।
2. श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर विकास न्यास कोटा।
3. आयुक्त (मुख्यालय/विज्ञान नगर/रामपुरा/राजस्व) नगर निगम कोटा।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक कोटा जोन कोटा।
5. उप नगर नियोजक नगर निगम कोटा।
6. ✓ श्रीमती सुशीला कुमारी पत्नि श्री विजय सिंह पलायथा निवासी मोहन निवास स्टेशन रोड कोटा वार्ड नं. 56
7. गार्ड फाईल।

sd
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम कोटा।



कोटा नगर निगम, कोटा

(राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम 1963 के नियम 22, 23 और 24 (1) के अधीन)
रसीद

रसीद नं.	रसीद दिनांक	कोटा-एन को नाम एवं क्रमांक	वार्ड नं.
98001/669B	18/04/2013	HEAD OFFICE COUNTER-A	2
सेवा क्रमांक / कन्ट्रोल नं.	नाम व पता		
98/12/000047	VIJAY SINGH PALAYTHA, SUSHILA KUMARI, PRATAP SINGH SANJAY SINGH, SMRATI KUMARI MOHAN NIWAS COLONY STATION ROAD NEAR NEHRU PARK KOTA		
मद का नाम		प्राप्त राशि रु.	
URBAN DEVELOPMENT TAX		982023.00	
विवरण REC. AS U.D.T. Y. 2007-08 TO 2012-13 CHW			
अधारे रु. NINE LAC EIGHTYTWO THOUSAND TWENTYTHREE	चैक दिनांक	चैक राशि रु.	चैक एवं राशि का नाम
982023.00	17/04/2013	982023.00 UCD	
441486			



कृ.प.त.

भूल-चूक लेनी देनी

